

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 269 / 15
 संस्थापन दिनांक:-20 / 05 / 15
 फाईलिंग नं. 233504001022015

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

राजेश पिता मंगल साहू
 उम्र 51 वर्ष, निवासी एम.ई.एस. बोड़खी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 13.02.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 452, 294, 323, 332, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 29.03.2015 को समय 11:00 बजे गोविंद कॉलोनी पशु चिकित्सालय आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी देवेंद्र कुमार साहू के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया एवं फरियादी को लोक लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी देवेंद्र साहू और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी देवेंद्र साहू को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी देवेंद्र साहू को जो एक लोक सेवक था और पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था, आपने इस आशय से की उसे लोक सेवक के कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करके उसे स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी देवेंद्र साहू को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 29.03.2015 को 11 बजे फरियादी आफिस में शासकीय कार्य कर रहा था। तभी पूर्व में पदस्थ भृत्य अभियुक्त राजेश आया और उसे द्वांसफर कराने की बात पर से गंदी गंदी मां बहन की मादरचोद की गाली दी। फरियादी द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे हाथ मुक्के से पीठ पर मारपीट किया। अभियुक्त ने

जाते जाते उसे जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क्र. 168/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। फरियादी का कर्तव्य प्रमाण पत्र लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी देवेंद्र कुमार साहू के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को लोक लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी देवेंद्र साहू और अन्य को क्षोभ कारित ?
3. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी देवेंद्र साहू को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
4. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी देवेंद्र साहू को जो एक लोक सेवक था और पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था, आपने इस आशय से की उसे लोक सेवक के कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करके उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
5. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी देवेंद्र साहू को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
6. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 02 एवं 05 का निराकरण

5 डॉ. डी.के. साहू (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसे अभियुक्त ने घटना के समय मादरचोद बहनचोद की गालियां दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 साक्षी/फरियादी डॉ. देवेंद्र कुमार साहू (अ.सा.-1) ने जो शब्द न्यायालय में बताये हैं सामान्यतः वे शब्द बिना उनके शाब्दिक अर्थ के मात्र क्रोध प्रकट करने के लिए उच्चारित किये जाते हैं जिन्हें भले ही नैतिकता के विरुद्ध माना जाता है किंतु धारा 294 भा.दं.सं. के अर्थ में अश्लील नहीं माना जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224** अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि अभियुक्त ने उसके चेम्बर में आकर गाली गलौच की थी, तब ऐसी स्थिति में धारा 294 भा.दं.सं. का आवश्यक तत्व लोक स्थान का भी अभाव है। फलतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 डॉ. देवेंद्र कुमार साहू (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

8 यद्यपि फरियादी डॉ. देवेंद्र कुमार साहू (अ.सा.-1) ने घटना के समय अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है परंतु जान से मारने की धमकी ऐसी होनी चाहिए जिससे फरियादी के मन में यह भय पैदा हो जाये कि ऐसी धमकी का क्रियान्वयन भी किया जा सकता है। आपराधिक अभित्रास गठित करने के लिए धमकी वास्तविक होना चाहिए तथा संत्रास कारित करने का आशय होना चाहिए। यदि ऐसी धमकी देने का आशय उसे कार्यरूप में परिणित करने का न हो और फरियादी भयभीत न हुआ हो तो अपराध गठित नहीं होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **लक्ष्मण विरुद्ध म.प्र. राज्य 1989 जे.एल. जे. 653** अवलोकनीय है। अतः विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्त के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 03 एवं 04 का निराकरण

9 डॉ. डी.के. साहू (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय चेम्बर में वार्षिक रिपोर्ट चेक कर रहा था तभी अभियुक्त चेम्बर में आया और उसके साथ धक्का मुक्की करने लगा तथा पीठ पर एक मुक्का मारा जिससे उसे पीठ पर चोट आयी थी। साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्त ने उसके महत्वपूर्ण कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया तथा टेबल पर रखे कागज बिखरा दिये थे। घटना चेम्बर के बाजू में बैठे ऑफिस के कर्मचारी इंद्रलाल चंदेलकर एवं सतीश भोंडे ने सुना एवं देखा था तथा उन्होंने भी अभियुक्त को समझाया था। साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट थाने में की थी और उसका मेडिकल मुलाहिजा भी हुआ था।

10 सतीश (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना पशु चिकित्सालय परिसर के अंदर की है। वह ईलाज में लगा हुआ था तभी चिल्लाने की आवाज आयी और तब उसने जाकर देखा तो अभियुक्त डॉक्टर साहू से बोल रहा था कि पांच माह की तनख्वाह नहीं मिली है, मैं परेशान हूँ मुझे पेमेंट दिलवा दो। इसके अतिरिक्त कोई घटना नहीं हुई थी। इंद्रलाल (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त राजेश घटना के दिन उसके रूके हुए वेतन के बारे में फरियादी से मिलने के लिए आया था। जब अभियुक्त और फरियादी के बीच बहस होने लगी तब वह भी फरियादी के रूम के सामने आ गया, फिर दोनों का विवाद होता रहा, इसके बाद अभियुक्त वापस घर चला गया और वह अपने रूम वापस आ गया। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने इस सुझाव से इनकार किया है कि अभियुक्त ने फरियादी के साथ झूमा झटकी कर मारपीट की थी।

11 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-5) ने दिनांक 29.03.2015 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत डॉ. डी.के. साहू का परीक्षण किये जाने पर आहत की पीठ के दाहिनी तरफ 3 गुणा 2 सेमी. आकार एवं दाहिने गाल पर 2 गुणा 1 सेमी. आकार की सूजन एवं दर्द होना प्रकट करते हुए उसके द्वारा तैयार चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श प्री-4) पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है।

12 सत्यनारायण पांडे (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 30.03.2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 168/15 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) एवं दिनांक 01.04.2015 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-6) का गिरफ्तारी पत्रक बनाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

13 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। स्वयं फरियादी डॉ. देवेंद्र साहू ने अभियोजन कथा के अनुरूप कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा में आये संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

14 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह सही है कि स्वतंत्र साक्षी सतीश (अ.सा.-2) एवं इंद्रलाल (अ.सा.-3) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। यह उल्लेखनीय है कि साक्षीगण के समर्थन न किये जाने से संपूर्ण अभियोजन मामले को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **उत्तरप्रदेश राज्य विरुद्ध अनिल सिंह (1988) पूरक एससीसी 686** में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि प्रकरण अन्य दृष्टि से सिद्ध व स्वीकार योग्य है तो प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों के समर्थन के अभाव पर अभियोजन मामले को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा ही अभिमत **म.प्र. राज्य विरुद्ध छगनलाल 2003 (1)जे.एल.जे. 362** में भी लिया गया है।

15 अभिलेख पर मात्र फरियादी डॉ. डी.के. साहू (अ.सा.-1) की साक्ष्य उपलब्ध है। जहां तक फरियादी की एकल असंपुष्ट साक्ष्य का प्रश्न है। इस संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 में स्पष्टतः वर्णित है कि— *किसी मामले में किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं है।* इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जोसेफ विरुद्ध केरल राज्य (2003) 1 एससीसी 465** के न्याय दृष्टांत में यह न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि —*एकमात्र साक्षी की साक्ष्य भी यदि पूरी तरह विश्वसनीय पायी जाती है तो उस पर दोषसिद्ध स्थिर की जा सकती है, अवलोकनीय है।* अतः फरियादी डी.के. साहू (अ.सा.-1) की साक्ष्य की सूक्ष्म विवेचना आवश्यक हो जाती है।

16 डी.के. साहू (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह पशु चिकित्सालय में अपने चेम्बर में वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर रहा था तभी अभियुक्त आया और ट्रांसफर की बात पर से उसके साथ धक्का मुक्की करने लगा और पीठ पर एक मुक्का मार दिया तथा टेबल पर रखे कागज बिखरा दिये। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 07 में साक्षी ने यह बताया है कि घटना के समय वह वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर रहा था। साक्षी ने यह सही होना बताया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराते समय यह नहीं बताया था कि जब वह वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर रहा था तो अभियुक्त ने पीछे से आकर पीठ पर मुक्का मारा था। पैरा क. 08 में साक्षी ने यह बताया है कि साक्षी **इंद्रलाल चंदेलकर (अ.सा.-3) एवं संतीश भोंडे (अ.सा.-2) ने नहीं देखी।** इसी पैरा में साक्षी ने यह भी बताया है कि रविवार के दिन भी 11 बजे तक अस्पताल खोलने के निर्देश हैं इसलिए घटना दिनांक को अस्पताल खुला हुआ था। पैरा क. 10 में साक्षी

ने यह बताया है कि अभियुक्त को विगत 5-6 माह से वेतन नहीं मिल रहा था तथा उसी की शिकायत पर अभियुक्त का ट्रांसफर नाहिया हो गया था। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त ने ट्रांसफर के संबंध में उससे कभी कोई चर्चा नहीं की। स्वतः कहा कि **जब मेरे हाथ में ट्रांसफर करना नहीं है तो वह मुझसे क्यों बोलेगा**। तत्पश्चात इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि उसने पुलिस को यह बताया था कि उससे अभियुक्त ने यह कहा था कि तुमने मेरा ट्रांसफर क्यों कर दिया। साक्षी ने यह भी बताया है कि अभियुक्त उसके ट्रांसफर के लिए उसे जिम्मेदार मानता है। पैरा क. 11 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने पुलिस को यह बताया था कि अभियुक्त ने पीछे से आकर हाथ मुक्के से मारपीट किया था। स्वतः में साक्षी ने यह बताया है कि उसने सामने से आकर मारपीट करने वाली बात बतायी थी। पैरा क. 13 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने चेम्बर के अंदर जहां पर वह शासकीय कार्य कर रहा था वहां पर मारपीट करने की बात पुलिस को बतायी थी।

17 बचाव अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि पूर्व से फरियादी की अभियुक्त से रंजिश है इसलिए भी अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है। उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में पैरा क. 05 में साक्षी डी.के. साहू (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि अभियुक्त उसके निर्देशों का पालन नहीं करता था, अनुशासनहीनता करता था इस कारण से वह अभियुक्त से 5-6 वर्ष से नाराज है तथा पैरा 10 में साक्षी ने यह बताया है कि उसकी शिकायत पर ही अभियुक्त का ट्रांसफर नाहिया हो गया था। उपर्युक्त साक्षी के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि उसके एवं अभियुक्त के बीच विभागीय कार्य में मतभेद थे परंतु इससे यह अनुमानित नहीं किया जा सकता कि फरियादी अभियुक्त से रंजिश रखता था इस वजह से उसने अभियुक्त को मिथ्या आलिप्त किया है। साथ ही रंजिश के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि रंजिश एक ऐसा तत्व है जो घटना का कारक भी हो सकता है और झूठा फंसाये जाने का आधार भी हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत Kailash Gour Vs. State of Assam (2012) 2 SCC 34 में यह प्रतिपादित किया गया है कि "Enmity being a double edged weapon, there could be motive on either side for commission of offences as also for false implication" अर्थात् रंजिश अपने आप में साक्षियों पर विश्वास न करने का कोई आधार नहीं होती है। अतः बचाव अधिवक्ता को इस तर्क से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता।

18 बचाव अधिवक्ता के द्वारा बचाव साक्षी धुरु नागपुरे (ब.सा.-1) एवं पंजू (ब.सा.-2) को परीक्षित कराया गया है। उपर्युक्त साक्षीगण ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वे दूध बेचने का व्यवसाय करते हैं तथा घटना दिनांक को पशु चिकित्सालय डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए गये थे। जब वे पशु चिकित्सालय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अभियुक्त राजेश साहू डॉक्टर साहब से वेतन दिलवाने के लिए बोल रहा था इसके अलावा कोई भी मारपीट, गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षीगण ने इस सुझाव को

गलत होना बताया है कि डॉक्टर साहू और अभियुक्त के बीच में झगड़ा चल रहा था और अभियुक्त ने डॉक्टर साहू के टेबल पर रखे कागज बिखरा दिये थे। उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि वे कितने बजे पशु चिकित्सालय पहुंचे थे। साथ ही साक्षीगण ने यह बताया है कि जब वे मौके पर पहुंचे तो विवाद चल रहा था। तब ऐसी स्थिति में साक्षीगण के पहुंचने के पहले अभियुक्त एवं फरियादी के बीच में क्या हुआ था, उपर्युक्त बात साक्षीगण नहीं बता सकते हैं। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष को उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

19 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 29.03.2015 की सुबह 11 बजे की है। थाने पर रिपोर्ट उक्त दिनांक को ही 11.30 बजे लेख करायी गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियुक्त का फरियादी के साथ ट्रांसफर कर दिये जाने की बात पर से विवाद हुआ तब अभियुक्त ने फरियादी के साथ हाथ मुक्के से पीठ पर मारपीट किया। साक्षी के मुलाहिजा फार्म में भी हाथ मुक्के से मारपीट कर पीठ पर चोट आना लेख है। चिकित्सकीय परीक्षण में साक्षी के **पीठ एवं गाल के दाहिने तरफ** सूजन एवं दर्द पाया गया। नक्शा मौका (प्रदर्श प्री-2) के अवलोकन से यह दर्शित है कि घटना स्थल पशु चिकित्सालय के सामने की है। न्यायालयीन परीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि घटना चेम्बर के अंदर की है। फरियादी के द्वारा तत्काल पश्चात रिपोर्ट लेख करायी गयी है। फरियादी की निशादेही पर ही नक्शा मौका तैयार किया गया है तब ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि घटना स्थल पशु चिकित्सालय के अंदर का चेम्बर न दर्शित करते हुए चिकित्सालय के बाहर का भाग दर्शित किया गया है। साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण के पैरा क. 10 में यह बताया है कि अभियुक्त ने ट्रांसफर के संबंध में उससे कभी कोई चर्चा नहीं की। स्वतः में साक्षी ने यह भी कहा कि जब उसके हाथ में ट्रांसफर करना नहीं है तो अभियुक्त उससे क्यों बोलेंगा। जबकि घटना का प्रारंभिक ट्रांसफर की बात पर से विवाद होना प्रकट है। तब उपर्युक्त दशा में घटना दिनांक को ऐसी कौन सी परिस्थिति निर्मित हुई कि ट्रांसफर की बात पर से जब अभियुक्त ने फरियादी से कभी कोई चर्चा नहीं की तब घटना दिनांक को इस बात पर कैसे विवाद किया गया।

20 अभियोजन कथा अनुसार घटना पशु चिकित्सालय में उपस्थित आईएल चंदेलकर एवं सतीश भोंडे के द्वारा देखी गयी जबकि स्वयं फरियादी डी. के. साहू (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण के पैरा क. 08 में यह बताया है कि उपर्युक्त साक्षीगण ने घटना नहीं देखी थी। उपर्युक्त साक्षी डी.के. साहू (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 07 में यह बताया है कि घटना के समय चिकित्सालय के कर्मचारी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे और वह उन रिपोर्ट को चेक करके हस्ताक्षर कर रहा था। तब ऐसी स्थिति में उपर्युक्त साक्षीगण चंदेलकर एवं संतीश भोंड ने घटना न देखी हो यह नहीं माना जा सकता। न्यायालयीन परीक्षण में साक्षी ने घ

घटना के समय वार्षिक रिपोर्ट तैयार किया जाना तथा उस कार्य में अभियुक्त के द्वारा टेबल पर रखे कागज फेंककर व्यवधान उत्पन्न किया जाना बताया है। जबकि फरियादी के द्वारा घटना के तत्काल पश्चात रिपोर्ट की गयी है तब फरियादी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह बात क्यों लेख नहीं करायी गयी है, इसका स्पष्टीकरण भी साक्षी के कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है। साक्षी सतीश (अ.सा.-2) एवं इंदरलाल (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त फरियादी से वेतन के संबंध में चर्चा कर रहा था। साक्षी सतीश (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि पशु चिकित्सालय की बाउंड्री में दोनों पक्षों के बीच में चर्चा चल रही थी। उपर्युक्त साक्षी सतीश एवं इंदरलाल ने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि अभियुक्त ने डॉक्टर साहब के चेम्बर में घुसकर कोई फाईल नहीं फेंकी थी।

21 घटना पशु चिकित्सालय के बाहर बाउंड्रीवाल के पास होना नक्शा मौका (प्रदर्श प्री-2) से प्रकट हो रहा है। फरियादी डी.के. साहू (अ.सा.-1) के कथनों का समर्थन पशु चिकित्सालय के ही अधिकारी/कर्मचारी साक्षी इंदरलाल एवं सतीश ने नहीं किया है। साक्ष्य के दौरान फरियादी के द्वारा एफआईआर को देखकर बयान दिये जा रहे थे। न्यायालयीन परीक्षण में फरियादी ने अभियोजन कथा से हटकर अतिशयोक्तिपूर्ण कथन न्यायालय में किये हैं। फरियादी ने अभियुक्त के द्वारा पीठ पर हाथ मुक्के से मारना बताया है परंतु फरियादी के पीठ के दाहिने तरफ एवं गाल में दाहिने तरफ सूजन पायी गयी है। इस प्रकार फरियादी की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित नहीं है। फरियादी ने चेम्बर में बैठकर वार्षिक रिपोर्ट तैयार किया जाना अर्थात् शासकीय कार्य किया जाना बताया है परंतु घटना के तत्काल पश्चात लिखायी गयी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है। अभियुक्त पर धारा 332 भा.दं.सं. चालान प्रस्तुती के समय बढ़ायी गयी है। उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त के द्वारा शासकीय कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न किया गया हो या घटना के समय फरियादी शासकीय कार्य कर रहा हो। साथ ही फरियादी ने अभियुक्त के द्वारा हाथ मुक्के से मारपीट करना बताया है। इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि फरियादी ने उपहति कारित करने की तैयारी उपरांत पशु चिकित्सालय में फरियादी के चेम्बर में गया हो। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा संदेहास्पद एवं साथ ही अभियुक्त को मिथ्या आलिप्त किये जाने की ओर इंगित करती है। फलतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 06 का निराकरण

22 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी देवेंद्र कुमार साहू के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर

हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया एवं फरियादी को लोक लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी देवेंद्र साहू और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी देवेंद्र साहू को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी देवेंद्र साहू को जो एक लोक सेवक था और पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था, आपने इस आशय से की उसे लोक सेवक के कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करके उसे स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी देवेंद्र साहू को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त राजेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 294, 323, 332, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

23 अभियुक्त के जमानत मुचलके 437-ए द.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

24 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)